न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24/2021

अनवान : –

1. रूलीचन्द पुत्र राजेराम जाति बादी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम्

1. उमरदीन पुत्र मामुदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ऐजल स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर
2. खुशी मोहम्मद पुत्र मामुदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ऐजल स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र मामुदीन फौत
   3/1 यासीन पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ऐजल स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर
   3/2 नाजम अली पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ऐजल स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर
   3/3 न्याक्त अली पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ऐजल स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर

–असल अप्रार्थीगण

4. प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. महावीर पुत्र राजेराम जाति बादी निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र राजेराम जाति बादी निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 29/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर में सयुक्त खाता सं. 182/24 की कृषि भूमि प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 6/1 की 0.1640 हैक्टर, 6/2 की 0.0890 हैक्टर, 7/1 की 0.2150 हैक्टर, 7/2 की 0.0380 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15 की 0.2530 हैक्टर, 17 की 0.2530 हैक्टर, 18 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 319/443 मु.न. 11 के किला नं. 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, कुल 14 किता की 3. 0360 हैक्टर भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान के नाम दर्ज है तथा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 40/35 के प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 16 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 318/444 मुन. 23 के किला नं. 5 की 0. 2530 हैक्टर, 6 की 0.2530 हैक्टर, 15 की 0.2530 हैक्टर, 16 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 319/443 मु.न. 11 के किला नं. 18 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, 21 की 0.2530 हैक्टर, 22 की 0.2530 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 319/444 मु.न. 24 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 2 की 0.2530 हेक्टर, 3 की 0.2530 हैक्टर, 6 की 0.2530 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, 8 की 0. 2530 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, 10 की 0.2530 हैक्टर, 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

की 0.2530 हैक्टर, 15 की 0.2530 हैक्टर, 16 की 0.2530 हेक्टर, 17 की 0.2530 हैक्टर, 18 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, 21 की 0.2530 हैक्टर, 22 की 0.2530 हैक्टर, 23 की 0.2530 हेक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर, कुल 36 किता की 9.1080 हेक्टर भूमि असल गैरसायलान के नाम दर्ज है।

सायल के खेत के दक्षिण में नोहर रोड से चक 14 बारानी की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ से निकलती है तथा सायल के खेत सड़क से उतर की तरफ पड़ता है सायल व तरतीबी गैरसायलान गैरसायलान सं. 1 ता 3 के खेत के प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 25, 26,15, 6,5 व प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 16 व 25 में से दक्षिण से उतर की तरफ पूर्व से साईड से होकर अपने खेत मे प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 15 में प्रवेश करते है तथा यही सुविधा जनक व नजदीकी रास्ता है। सायल व तरतीबी गैरसालयान सं. 4 ता 6 सदामत से यही से अपने खेत में प्रवेश करते है चुकि अब गैरसायलान सं. 1 ता 3 आनाकानी कर रहे है। तथा रास्ता बन्द करने की धमकी दहे रहे है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व उनके भाईयों को खेत में आना जाना बन्द हो जायेगा तथा उनकी खड़ी फसल खराब हो जायेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही हो पायेगी। रास्ता में आयी भूमि के बहकावे में सायल व तरतीबी गैरसायलान गैरसायलान सं. 1 ता 3 को बदले में भूमि देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 25, 26,15, 6,5 के दक्षिणी में उतर की तरफ व पूर्वी की और से प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 16 व 25 में से दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि सायल व तरतीबी गैरसायलान सं. 4 ता 6 अपने खेत प. न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 15 में प्रवेश कर सके। इसी अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता के खेत में से प्रार्थी के लिए कोई भी सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नही है। उतरदातागण की रोही मौजा चक 15 बारानी के प.न. 319/444 मु.न. 24 के किला नं. 1 ता 3, 6 ता 25 सयुक्त खाता की जद्दी खातेदारी है जिसमें कभी भी प्रार्थी ने आवागमन नही किया ना नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। सबसे नजदीक रास्ता मंजुर शुद्धा रास्ता प.न. 318/445 मु.न. 32 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टर है जिससे होकर प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 24, 17 व 14, 7, 4 में सबसे नजदीक का रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में नन्दलाल पुत्र मालचन्द के नाम दर्ज है। उतरदाता की खातेदारी भूमि में रास्ता यदि मंजुर किया जाता है तो खातेदारी कृषि भूमि दो भागो में विभाजित हो जायेगी तथा किला जात भी ज्यादा है अर्थात दुरी ज्यादा है नियमानुसार नजदीक व सुविधा अनुसार ही रास्ता मंजुर किया जा सकता है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 25, 26,15, 6,5 के दक्षिणी में उतर की तरफ व पूर्वी की और से प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 16 व 25 में से दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए सबसे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य रास्ता प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 24, 17 व 14, 7, 4 में सबसे नजदीक का रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में नन्दलाल पुत्र मालचन्द के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी द्वारा पक्षकार ही संयोजित नही किया गया है। उक्त रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता से छोटा है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अगर स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी के टूकड़े भी हो जायेगे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 15 बारानी के खाता स0 82/124 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के एवं खाता स0 40/35 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि असल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के प.न. 318/444 मु.न. 23 के किला नं. 25, 26,15, 6,5 के दक्षिणी में उतर की तरफ व पूर्वी की और से प.न. 318/443 मु.न. 12 के किला नं. 16 व 25 में से दक्षिण से उतर की तरफ पूर्वी तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए नजदीक व सुविधाजनक है एवं उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है।

हॉ, यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 7 किला में से है एवं जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा प0न0 318/44 मु0न0 23 के किला न0 4, 7, 14, 17, 24 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ का रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधाजनक व निकटतम है उक्त भूमि नन्दलाल पुत्र मालचन्द के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी द्वारा पक्षकार ही नही बनाया गया है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि के टूकड़े भी होना सम्भावित है।

हस्तगत प्रकरण मे सायलान को गैरसायल की भूमि के टुकडे किये बिना भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल द्वारा नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता प्राप्त किया जा सकता है

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा प्रार्थी को अन्य निकटतम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता था लेकि तथा सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये गैरसायल की भूमि के दो टुकडे किये बिना ही नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होगी एव सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता भी न्यायोचित नही है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर